श्री एल.कृष्णमूर्ति ''भा.व.से.'' क्षेत्रसंचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम्
द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / प्रबंध / ....191.... **नर्मदापुरम् दिनांक 21/03/2024**

सतपुडा टाइगर रिजर्व के कोर, बफर एवं व्यू पाइंट्स क्षेत्र में वाहन से भ्रमण के लिये पर्यटको की सुविधा हेतु प्रवेश अनुज्ञा पत्र https://forest.mponline.gov.in बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन प्रवेश द्वारो पर भी पर्यटको हेतु प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते है। पर्यटको द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रवेश अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात् पर्यटन क्षेत्रो में प्रवेश हेतु पंजीकृत (सतपुडा टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा) वाहनो के द्वारा भ्रमण किया जाता है। इसी अनुक्रम में पर्यटको को अपेक्षाकृत और अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक/35 दिनांक 27.08.2021 के बिन्दु क्रमांक–03 उपबिन्दु–2 ''ख'' एवं ''छ'' के अध्याधीन पर्यटन क्षेत्र चूरना में पर्यटको को निजी वाहन द्वारा भीमकुण्ड प्रवेश द्वार से केवल चूरना वन विश्राम गृह तक (कुल 35 कि.मी.) प्रस्थान की अनुमति आगामी अन्यथा निर्देश जारी होने तक प्रदान की जाती है। यह अनुमति निम्नानुसार सभी शर्तो के पालन किये जाने पर ही मान्य होगी :–

1. केवल हल्के निजी वाहन से प्रवेश की पात्रता होगी एवं मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पंजीयन संबंधी सभी मानको का पालन आवश्यक होगा।
2. प्रवेश द्वार से निजी वाहन में गाइड साथ रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. कोर क्षेत्र में आगमन एवं निर्गमन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य ही हो सकेगा।
4. निजी वाहन को केवल निर्धारित पर्यटन मार्ग (भीमकुण्ड प्रवेश द्वार–पोडार–कोती–रतिबंदर बेरियर–वन विश्राम गृह चूरना कुल 35 कि.मी.) पर ही चलाया जा सकेगा।
5. निजी वाहन चालन के दौरान गाइड एवं स्थानीय अधिकारी/कर्मचारियों के वन/वन्यप्राणी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रति दिवस प्रातः एवं सांय केवल दो–दो निजी वाहनो को प्रवेश दिया जा सकेगा।

(एल.कृष्णमूर्ति)
क्षेत्रसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
नर्मदापुरम्

पृष्ठा. क्रमांक/प्रबंध/ ....2461 नर्मदापुरम् दिनांक/ 21.3.24

प्रतिलिपिः–1. सहायक संचालक, इटारसी उनके पत्र क्रमांक/631 दिनांक 14.03.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2.परिक्षेत्र अधिकारी चूरना को उनके पत्र क्रमांक/247 दिनांक 07.03.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

क्षेत्रसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
नर्मदापुरम्